

क्रमांक

नगर निगम, जयपुर

शुल्क 5/- रूपये

2286

लाइसेन्स के प्रार्थना पत्र

(नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 90 के अन्तर्गत)

सेवा में,

श्रीमान् आयुक्त महोदय,
नगर निगम, जयपुर

श्रीमान्



निवेदन है कि प्रार्थी..... पुत्र.....

चौकड़ी..... रास्ता..... मकान नं.....

का निवासी है और निम्नलिखित पते पर निम्नलिखित व्यवसाय करना चाहते हैं। कृपया निश्चित शुल्क जमा करके लाइसेन्स प्रदान करें / नवीनीकरण करें। मैं / हम लाइसेन्स की शर्तों की पालना करेंगे।

नाम.....

पता.....

हस्ताक्षर प्रार्थी

मकान नम्बर.....

नाम व्यवसाय.....

हस्ताक्षर पूर्तिकर्ता

मन/हार्स पावरगेलन

(लाइसेन्स नं.

क्या तहखाना भी है तो उसका उपयोग

अर्जिनवीस हो)

भट्टा आदि सङ्क पर है या सुरक्षित स्थान पर है।

आवेदन दिनांक..... को कार्यालय में गृहकर / लोज किराया (न. नि. की सम्पत्ति होने की स्थिति में) जमा कराने की रसीद / किराये की रसीद के साथ / बिना प्राप्त किया गया एवं प्रार्थी को दिनांक..... को कार्यालय में फीस जमा ~~करने हेतु~~ उपस्थित होने को सूचित किया गया गया।

प्राप्ति लिपिक

प्रार्थना पत्र क्रमांक..... दिनांक..... को गृहकर / लोज / किराया (न. नि.

की सम्पत्ति होने की स्थिति में) जमा की रसीद / दुकान किराये की रसीद के साथ / बिना रसीद प्राप्त किया। दिनांक..... लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु सम्पर्क करे ताकि नियमानुसार सफाई व्यवस्था आपकी संस्था में पाई गई तो लाइसेन्स की फीस जमा कर लाइसेन्स जारी कर दिया जावेगा अन्यथा लाइसेन्स नहीं दिया जा सकने के कारणों से अवगत करा दिया जावेगा।

प्राप्ति लिपिक

क्रमांक

दिनांक.....

तीन दिवस में गृहकर / सीज / न. नि. जयपुर की सम्पत्ति होने की दशा में किराया बात रिपोर्ट करें।

राजस्व अधिकारी

अनुज्ञापत्र अधिकारी

प्रार्थी की ओर गृहकर / सीज / किराया (न. नि. जयपुर की होने की दशा में)
रु.....बकाया है / नहीं है।

अनुज्ञापत्र अधिकारी

राजस्व अधिकारी

क्रमांक

दिनांक.....

एक सप्ताह में स्वास्थ्य अधिकारी मौके की रिपोर्ट करें।

स्वास्थ्य अधिकारी

अनुज्ञापत्र अधिकारी

मौके की रिपोर्ट दिनांक.....

अनुज्ञापत्र अधिकारी

स्वास्थ्य अधिकारी

क्रमांक

दिनांक.....

नियमानुसार शुल्क जमाकर अनुज्ञापत्र जारी किया जाये / अथवा नहीं (कारण बताया जाये)

लिपिक

अनुज्ञापत्र अधिकारी

पानी बचाओं, बिजली बचाओं, सबकों पढ़ाओं।

जयपुर नगर निगम, जयपुर

: चैक लिस्ट :

फर्म का नाम एवं पता

पूर्व लाईसेन्स सं.

वर्ष

बकाया वर्ष

वर्ष

बकाया कुल राशि रु.

प्रबन्धक / मालिक का नाम.....

व्यवसाय का विवरण : होटल / गेस्ट हाउस / रेस्टोरेंट / हलावाई-गिरी / भोजनालय / ढावा / बेकरी / आईस कैकट्री व अन्य व्यवसाय

(अ) होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय की श्रेणी

गत वर्ष के गृहकर / लीज किराया (न. नि. की सम्पत्ति होने की दशा में) की रसीद संलग्न की है / नहीं है।

फायर की एन. ओ. सी. संलग्न है / या आवश्यक नहीं है।

(अ) आवश्यक नहीं होने पर फायर इक्विपमेंट लगा रखे हैं / नहीं है।

निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं अथवा नहीं।

व्यवसाय स्थल / रसोई घर / खानपान तैयार करने का स्थान आदि की स्वच्छता व पीने के पानी स्वच्छी रिपोर्ट :

जांचकर्ता निरीक्षक के हस्ताक्षर

स्वास्थ्य अधिकारी

1. आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करें :—

- (1) 10/- का हल्कानाम नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित (संलग्न पारूप अनुसार)
- (2) व्यवसाय स्थल किराये पर होने पर किरायानामा किराये की रसीद।
- (3) व्यवसाय स्थल स्वयं का होने पर गृहकर/लीज/जयपुर नगर निगम की सम्पत्ति होने की दशा में किराया चालू वर्ष की जमा की छाया प्रति।
- (4) व्यवसाय स्थल के स्वामित्व सम्बन्धित दस्तावेज (रजिस्ट्री, पट्टा) को छाया प्रति मय नक्श के।
- (5) क्लब, होटल, गेस्ट हाउस, के लिए तीन मंजिल या अधिक पर फायर प्रमाण—पत्र।
- (6) होटल एवं रेस्टोरेन्ट होने की दशा में पार्किंग की समुचित व्यवस्था का प्रमाण—पत्र।
- (7) व्यवसाय स्थल के अन्दर व बाहर कचरा पात्र रखने की व्यवस्था की प्रमाण—पत्र।
- (8) सेप्टिक टैंक बना हुआ है अथवा रीवरेज कनेक्शन ले रखा है, वह भी उल्लेखित करें।
- (9) होटल कितनी सितारा है, इसका प्रमाण—पत्र।
- (10) होटल कितनी मंजिल की है इसका प्रमाण—पत्र व कमरों की संख्या का विवरण।

पानी बचाओं, बिजली बचाओं, सबकों पढ़ाओं।

10/- रु. के स्टाम्प पर निम्न हल्फनामा पेश करना होगा

शपथ-पत्र

मैं पुत्र श्री

निवासी प्रोफराइटर / पार्टनर मैसर्स

शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि निम्नलिखित तथ्य सत्य हैं :-

1. यह है कि उक्त कारोबार मैसर्स नाम से दिनांक..... से शुरू किया गया है।
2. यह है कि उक्त कारोबार स्थल मेरा स्वयं / किराये का है। किराए ' गृहकर / लीज / किराया (न. नि. जयपुर की सम्पत्ति होने की स्थिति में) वर्ष..... की रसीद संलग्न है।
3. यह है कि उक्त व्यवसाय स्थल पर किसी तरह का सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है।
4. यह है कि उक्त फर्म का आज दिनांक तक कोई चालान या न्यायिक या फौजदारी विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।
5. यह है कि उक्त होटल / रेस्टोरेन्ट मंजिल का है, जिसमें फायर इक्विपमेन्ट लगे हुए है।
6. यह है कि उक्त व्यवसाय स्थल आवासीय / व्यवसायिक क्षेत्र में स्थापित है।
7. यह है कि उक्त व्यवसाय स्थल पर साफ सफाई पूर्ण है कचरापत्र रखा हुआ है।

उपरोक्त समस्त तथ्य सत्य हैं इनमें किसी बात की असत्यता पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा।

शपथ गृहिता

पानी बचाओं, बिजली बचाओं, सबको पढ़ाओं।

